25

न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई(आर0ए0एस0) उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

मुकदमा नम्बर :– 106/2015

1. असलम आयु 57 वर्ष पिसरान नानू जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
2. अयुब खां आयु 47 वर्ष पिसरान नानू जाति कायमखानी मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।

–वादीगण

बनाम

1. यासीन आयु 80 वर्ष पिसरान ज्यानी जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
2. अलादीन आयु 60 वर्ष पिसरान ज्यानी जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
3. उम्मेद सिंह आयु 48 वर्ष पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बेगराज की ढाणी तन नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. श्रीमती सायरा बानो आयु 75 वर्ष स्त्री कमरूदीन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
5. नेमीचन्द आयु व्यस्क पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
6. श्रीमती खैरू निशा आयु 45 वर्ष स्त्री कयूम जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
7. शहाबुदीन आयु 75 वर्ष पुत्र नजीर खां जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
8. हासिम खां आयु 65 वर्ष पिसरान कासम अली जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
9. सलाउदीन आयु 60 वर्ष पिसरान कासम अली जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
10. सिराजुदीन आयु 45 वर्ष पिसरान कसम अली जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा , झुन्झुनू।
11. श्रीमति जैतून आयु 40 वर्ष स्त्री अब्दुल रसीद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
12. ईरशाद आयु 19 वर्ष पिसरान अब्दुल रसीद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
13. शशीद आयु 18 वर्ष पिसरान अब्दुल रसीद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
14. मु. नसरीन बानो पुत्री अब्दुल रसीद जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
15. मु. जमीला आयु 52 वर्ष पुत्री हुसैन खां स्त्री शौकत जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा,झुन्झुनू।
16. राजेन्द्र कुमार आयु व्यस्क पुत्र नन्दाराम जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
17. अब्दुल सतार आयु 65 वर्ष पुत्र अब्दुला जाति व्यापारी मुसलमान निवासी अब्दुल्ला की ढाणी तन नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
18. हमीद आयु 68 वर्ष जुमर्दी खां जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
19. श्रीमति जैतून आयु 50 वर्ष स्त्री जीवन जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला खोरा, झुन्झुनू।
20. श्रीमति सुमन आयु व्यस्क स्त्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी झटावा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
21. राजस्थान सरकार जरिये लैन्ड होल्डर तहसीलदार, झुन्झुनू।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री शिवनारायण सिंह :– वादीगण की ओर से।
2. श्रीमती मीना देवी :– प्रतिवादीगण की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी :– राज्य सरकार की ओर से।

दावा बाबत इस्तकरारहक ,दुरूस्ती रिकार्ड, बंटवारा

निर्णय दिनांक: 05.02.2018

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसील झुन्झुनू में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 601 तादादी 1.60 है0, खसरा नम्बर 602 तादादी 1.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.66 है0 वाके ग्राम नयासर में अवस्थित हैं, जिसके पुराना खसरा नम्बर 261 तादादी 10 बीघा 10 विश्वा वाके ग्राम नयासर से बने हैं। तहसील झुन्झुनू में भूमि खसरा नम्बर 603 तादादी 1.24 है0, खसरा नम्बर 604 तादादी 0.65 है0, खसरा नम्बर 605 तादादी 3.20 है0, खसरा नम्बर 606 तादादी 1.37 है0, खसरा नम्बर 612 तादादी 0.54 है0, खसरा नम्बर 613 तादादी 0.95 है0, खसरा नम्बर 614 तादादी 1.30 है0, खसरा नम्बर 615 तादादी 0.01 है0 व खसरा नम्बर 616 तादादी 2.67 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 11.93 है0 वाके ग्राम नयासर अवस्थित हैं, जिसके पुराना खसरा नम्बर 262 तादादी 47 बीघा 3 बिश्वा

Scanned by CamScanner

वाके ग्राम नयासर से बने हैं। जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 4, 6 लगायत 15, 18 व 19 के बुजुर्गान दिलदार खां व असरफ खां से संबंधित रही , जिनका देहान्त पुरानी पैमाईश सम्वत 1992–93 से पहले ही हो चुका था। इस जमीन के विधि वारिस उक्त दिलदार खां व असरफ खां के वारिस वादीगण व प्रतिवादीगण मौजूदा में कब्जा काश्त व काबिज काश्त हैं। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र की मिसल हकियत सम्वत 1997 में जमीन पुराना खसरा नम्बर 261 तादादी 10 बीघा 10 विश्वा के जागिरदार के कालम में वादीगण के दादा साहदीन पुत्र असरफ खां के नाम से दर्ज होकर काश्तकार के कालम खुद काश्त दर्ज है तथा इसी के साथ एक अन्य भूमि पुराना खसरा नम्बर 287/262 तादादी 1 बीघा 6 विश्वा का ज्यानी पुत्र दिलदार खां काश्तकार दर्ज, जबकि उक्त ज्यानी जगीन का कभी खातेदार नहीं रहा। जमाबंदी 2012 से 2015 तक में वादीगण के पिता स्व0 नानू पुत्र साहूदीन का नाम बतौर खातेदार दर्ज है जो लगातार इसी प्रकार चलता रहा है। जगीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र का नामान्तकरण वादीगण के नाम से दर्ज होकर वादीगण इस भूमि के रिकार्डेड खोतदार काश्तकार हैं। उसके बाद जब सम्वत 2012 से 2015 प्रथम जमावंदी बनी तो उस जमावंदी में उक्तानुसार जगीन दिये जाने के आधार पर उक्त ज्यानी व गफूर पिसरान दिलदार खां का 1/2 हिस्सा व नजा (नजीर खां) पुत्र असरफ खां तथा मन्नु व नानू पिसरान साहूदीन हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड हुआ। इस प्रकार जगीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के पिता ज्यानी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 4 के ससुर गफूर खां का 1/4 हिस्सा (आठ आना) व असरफ खां के वारिसान साहूदीन, नजीन खां, जुमर्दी खां व वसीर खां का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा (दो आना) कुल 1/2 हिस्सा (आठ आना) रहा जो इस जमीन की जमावंदी सम्वत 2016 से 2019 तक में स्पष्ट होता है। इसके बाद में इस जमीन के राजस्व अभिलेख जमावंदी आदि में भी उक्त रिकार्ड इसी प्रकार चलता रहा तथा उक्त ज्यानी, गफूर खां, साउदीन, नजीर खां, जुमर्दी खां, वसीर खां आदि की मृत्यु के बाद उसी प्रकार हिस्से अनुसार उनके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 ने जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में से हिस्से की जमीन में से 1 बीघा 6 विश्वा वादीगण के पिता स्व0 नानू को दे दी तथा स्व0 नानू की जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र के साथ दर्शायी गई है। इसी प्रकार वादीगण के पिता नानू से प्रतिवादीगण नम्बर 3 के हक हिस्से में खसरा नम्बर 287/262 में से 1 बीघा 6 विश्वा का पंजीकृज विक्रय पत्र करवाया गया है। जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में से साउदीन के वारिसान वादीगण के पिता नानू , यासीन (हमीन), ईकबाल, श्रीमती जुबेदा, सईफ व समीर ने अपने हिस्से की जमीन के बावत विक्रय पत्र वादी नम्बर 1 की पत्नी श्रीमती परवीन बानो के नाम से दिनांक 12.03.2007 को पंजीकृत करवाकर इस जगीन केता उक्त श्रीमती परवीन बानो को विक्रय कर दिया। वादीगण के पिता स्व0 नानू के समय से काफी पुराना ए पश्चिम मुखी कमरा भी बना हुआ है। वादीगण ने दिनांक 20.05.2015 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 20 को इस जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त व विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी नम्बर 01 से 20 ने वादीगण को साफ–साफ इंकार कर दिया इसलिए वादीगण को अपने हकूकों की रक्षार्थ ये दावा पेश करना आवश्यक हुआ, जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय को है। जमीन खसरा नम्बर 601 तादादी 1.60 है0 व खसरा नम्बर 602 तादादी 1.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.66 है0 वाके ग्राम नयासर के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण नम्बर 16 लगायत 20 अपनी खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र की एवज में खातेदार काश्तकार हैं व काबिज है तथा वादीगण इस जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से खसरा नम्बर 605 तादादी 3.20 है0 वाके ग्राम नयासर के खातेदार काश्तकार है व काबिज हैं। जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड उक्त अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है। पूर्व में किये गये बंटवारा वर्णित धारा 8 व 9 वाद पत्र को मान्यता दी जावे अथवा किसी कारणवश इस बटवारे को मान्यता नहीं दी जा सके तो इस भूमि का बंटवारा इस प्रकार कर दिया जावे कि प्रतिवादीगण नम्बर 16 लगायत 20 के भूमि वर्णित धारा 2 वाद पत्र में किस्से की भूमि के बराबर वादीगण को जमीन वर्णित धारा 2 वाद पत्र में प्राप्त हो तथा प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner

नम्बर 16 ता 20 को जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र उनके हिस्से के अनुसार प्राप्त हो। अन्य प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 15 को उनके हिस्से के अनुसार भूमि वर्णित धारा 2 वाद पत्र मे से प्राप्त हो। वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 605 तादादी 3.20 है0 वाके ग्राम नयासर का खाता अलग किया जाकर लगान अलग से कायम किया जाकर वादीगण का कब्जा अलग करवाये जाने का निवेदन किया है। उक्तानुसार वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को बाबत जबाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 3, 4, 5, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बावजूद तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई व प्रतिवादी 1, 2, 6, 7, 8, 10 लगायत 14 व 21 द्वारा जबाव दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नही होना अपने जबाव मे वर्णित किया है। हमने वाद वादी के अभिकथनों व पत्रावली पर समस्त राजस्व रिकार्ड व बहस उभयपक्षों पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दुरूस्त किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम नयासर के हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 1.60 है0, खसरा नम्बर 602 रकबा 1.06 है0 मे से वादीगण नम्बर 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर भूमि हाल खसरा नम्बर 605 रकबा 3.20 है0 मे 1/2–1/2 बहिस्सा बराबर का मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता पृथक से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। भूमि खसरा नम्बर 601 व 602 रकबा 2.66 है0 में प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 20 के हक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 15 को वाद पत्र की धारा 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 605 रकबा 3.20 है0 भूमि को छोड़कर शेष रकबे का मौका व कब्जा काश्त के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर पक्षकारानों की मौजूदगी मे खाता अलग–अलग कर उनके घोषित हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5.2.18

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner